वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) अप्रैल, 1994 और अप्रैल, 1993 में कृषि तथा सबद्ध वस्तुओं के निर्यात और आयात (कच्ची कपास को छोड़कर) के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	निर्यात	आयात
अप्रल 1994	918.79	224.62
अप्रैल, 1993	869.33	135.40

(स्रोत : डीजीसीआई एड एस)

गुजरात राज्य को लघु पन-बिजली संयंत्रों/ परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई धनराशि

*215. **श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों को लघु पन-बिजली संयंत्रों परियोजनाओं के लिए धनराशि प्रदान करती है ;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को, विशेष रूप से गुजरात को कितनी धनराशि प्रदान की गई है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए ऐसे संयंत्रों परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा 1994-95 के दौरान इन संयंत्रों परियोजनाओं के लिए राज्यों को विशेष रूप से गुजरात राज्य को, कितनी-कितनी धनराशि आवंटित किए ज.ने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) :

(क) केन्द्र सरकार सामान्यतया राज्यों को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित फार्मूले के अनुसार उनकी वार्षिक योजनाओं के लिए ब्लाक योजना सहायता उपलब्ध करा रही है । यह सहायता विशिष्ट सेक्टरों परियोजनाओं स्कीमों को कब तक उपलब्ध नहीं कराई जाती जब तक कि वह राज्यों द्वारा "विशेष समस्यायें" मानदण्ड के अंतर्गत उल्लिखित और नियत न की गई हों । इसके अतिरिक्त, गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एम.ा न.ई. एस.) ग्रिा अथवा ग्राम-ग्रिड दोनों में निरूपण आधार पर विद्युत और यांत्रिकी उपकरणों और सिविल कार्यों पर निर्धारित पूंजीगत लागत के 50 प्रतिशत को कवर करने के लिए 3 मेगा वाट तक की छोटी लघु पन परियोजनायें संस्थापित करने के लिए पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान करता है।

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान छोटे लघु पन ऊर्जा विकास के लिए गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है । ऐसे कार्यक्रमों के लिए एम.ई.एन.एस. द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता के अलावा, योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से राज्य योजना में भी इसका प्रावधान किया जाता है । आठवीं योजना अवधि के लिए छोटी पन परियोजनाओं (2 मेगावाट से अधिक और 15 मेगावाट से कम) का अनुमोदित परिव्यय 292.68 करोड़ रुपए है । गुजरात राज्य में ऐसी कोई छोटी पन परियोजना (2 मेगावाट से अधिक और 15 मेगावाट से कम) नहीं है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, 6 राज्यों में 53.6 मेगावाट की क्षमता वाली छोटी पन विद्युत परियोजनायें संस्थापित की गई है । (ब्यौरे विवरण-I) में दिए गए हैं (नीचे देखिए) ।

(घ) गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को उपर्युक्त कार्यक्रम के लिए 1994-95 के दौरान 20 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है । छोटी पन परियोजनाओं के लिए वार्षिक योजना 1994-95 का अनुमोदित परिव्यय 9009 करोड़ रुपए हैं । चूंकि गुजरात में कोई छोटी पन परियोजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है । इसलिए वर्ष 1994-95 के लिए राज्य को कोई योजना परिव्यय उपलब्ध नहीं कराया गया हैं । आठवीं योजना अवधि और वर्ष 1994-95 के लिए छोटी पन-परियोजनाओं का राज्य-वार आवंटन विवरण-II में दिया गया है ।

विवरण I

1991–92 से 1993–94 के दौरान संस्थापित लघु एच०ई० परियोजनायें (3 मेगावाट से ऊपर तथा 15 मेगावट क्षमता तक की)

क्र०स०	परियोजना का नाम (राज्य)	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	के दौरान प्राप्त क्षमता (मेगावाट)		
			1991–92	1992–93	1993–94
1.	सूरतगढ़ (राजस्थान)	2×2	4	—	—
2.	मंगरोल (राजस्थान)	3×2	6	—	—
3.	बारही (मुख्य बांध) (कटक)	2×4.5	—	9	—
4.	मल्लारपुर (कटक)	2×4.5	—	—	9
5.	सोन पश्चिमी कैनाल (बिहार)	4×1.65	—	4.95	1.65
6.	अपर रोंगनीचू (सिक्किम)	4×2	—	4	4
7.	मैथोंग्चू (सिक्किम)	2×2	—	4	—
8.	टागो (एआर. पी.आर.)	3×1.5	3	—	—
9.	मन्निआर (निजी (केरल)	3×4	—	—	4
	जोड़		13	21.95	18.65

विवरण–II

लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिये परिव्यय (2 मेगावाट से अधिक तथा 15 मेगावाट से कम)

(लाख रु०)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आठवीं योजना	1994–95
(क)	राज्य		
1	आंध्र प्रदेश	0.0	0.0
2	अरुणाचल प्रदेश	1251.0	1350.0
3	असम	1250.0	0.0
4	बिहार	2350.5	1093.5
5	गोआ	0.0	0.0
6	गुजरात	0.0	0.0
7	हरियाणा	1000.0	0.0
8	हिमाचल प्रदेश	865.0	1100.0

क्र.सं०	राज्य संघ राज्य क्षेत्र	आठवीं योजना	1994–95
9	जम्मू और कश्मीर	1900.0	100.0
10	कर्नाटक	719.0	72.0
11	केरल	2688.0	210.0
12	मध्य प्रदेश	0.0	0.0
13	महाराष्ट्र	332.0	710.0
14	मणिपुर	0.0	0.0
15	मेघालय	0.0	0.0
16	मिजोरम	852.0	1889.0
17	नागालैंड	0.0	0.0
18	उड़ीसा	4067.0	500.0
19	पंजाब	0.0	0.0
20	राजस्थान	1387.0	459.0
21	सिक्किम	1623.0	500.0
22	तमिलनाडु	983.1	200.0
23	त्रिपुरा	0.0	0.0
24	उत्तर प्रदेश	8000.0	800.0
25	पश्चिम बंगाल	0.0	50.0
	कुल (राज्य) :	29267.6	9038.5

Cess for the Beedi workers

*216. SHRII K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of LABOUR be pleased to refer to the answer to Starred Question 162 given in the Rajya Sabha on 7th March, 1994 and state:

(a) whether Beedi manufacturers are paying any cess for the welfare of the Beedi workers;

(b) if so, what is the annual receipt of such cess, State-wise; and

(c) what is the annual expenditure incurred by his Ministry on the welfare of Beedi Workers, State-wise, during 1992-93 and so far in 1994-95?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) to (c) In accordance with the provisions contained in the Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976, excise duty is levied by way of cess on manufactured beedies. The rate of cess is 30 paise per thousand beedies. Exemption from this provision has been made in respect of beedies upto a quantity not exceeding 20 lakhs:—

(a) if they are unbranded; and

(b) if they are cleared (as first clearance) for home consumption on or after first of April in any financial year.